पंजीकृत

::नियुक्ति आदेश::

संख्याः /अनु0–2/तीन–ए–425/शि0का0लख0/2021 दिनांक मार्च, 2021

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग–4 के पत्र संख्या–आ–589/का–4–2020 दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग–4 के पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए **श्री हिमांशु चन्द्रा पुत्र श्री सुरेश चन्द्रा, निवासी–39 जेल चुंगी, यूनिवर्सिटी रोड, मेरठ (उ0प्र0) को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड–3 वेतनमान् रू0 15,600–39,100 ग्रेड वेतन रू0 5,400/– यथा–संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–10, रू0 56,100/– से रू0 1,77,500/**–में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:–

2– श्री हिमांशु चन्द्रा उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते है अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नही है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम–19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री हिमांशु चन्द्रा को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम–22 एवं 23 तथा समय–समय पर यथा–संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3– नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण–पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी:–

1. आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों।
2. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र।
3. इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र।
4. अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र।
5. एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र।
6. समस्त चल–अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा–पत्र।
7. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र मूलरूप में।
8. भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध के शपथ–पत्र।

4– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय–समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होगी, जो समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5– नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम–20 तथा समय–समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रू0 750/– (रू0 सात सौ पचास मात्र) का बचत पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7— नव नियुक्त/उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम—18(6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, सदर प्रथम, हापुड़ से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या—253/नौ—आर/20—1927 दिनांक 29.08.1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

8— श्री हिमांशु चन्द्रा को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 17.03.2021 तक सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हापुड़ के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा उपर्युक्त प्रस्तर—3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा—पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री चन्द्रा दिनांक 17.03.2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते है, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9— श्री हिमांशु चन्द्रा, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 22.03.2021 से दिनांक 02.04.2021 तक कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश मुख्यालय प्रयागराज में उपस्थित रहकर व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। व्यवसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करेंगे।

10— श्री हिमांशु चन्द्रा उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा—भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(मिनिस्ती एस0)
आई0ए0एस0
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(नियुक्ति प्राधिकारी)

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश शिविर लखनऊ।

द्वितीय तल, विश्वास काम्पलेक्स, विश्वास खण्ड—3,
गोमती नगर, लखनऊ—226010।

संख्याः 613 (1—14)/अनु0—2/तीन—ए—425/शि0का0लख0/2021 दिनांक 02 मार्च, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, कार्मिक अनुभाग—4, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. जिलाधिकारी, हापुड़।
6. अपर महानिरीक्षक निबन्धन (प्रशासन), उत्तर प्रदेश प्रयागराज/लखनऊ।
7. पुलिस अधीक्षक, हापुड़ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि प्रशिक्षु उप रजिस्ट्रार को उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 29.08.1927 के अनुसार निशान अंगूठा लेने का प्रशिक्षण प्रदान करने का कष्ट करें।
8. उप महानिरीक्षक निबन्धन, मेरठ मण्डल, मेरठ।
9. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) पदेन जिला निबन्धक, जिला—हापुड़।
10. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हापुड़ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि नव नियुक्त उप रजिस्ट्रार श्री हिमांशु चन्द्रा के योगदान आख्या प्रस्तुत करने पर कार्यभार ग्रहण

कराकर समस्त अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए उन्हें विधिवत वांछित व्यवहारिक प्रशिक्षण दिलाये जाने की कार्यवाही करायें। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर प्रशिक्षु उप रजिस्ट्रार की स्वतंत्र रूप से तैनाती किये जाने हेतु अपनी स्पष्ट आख्या /संस्तुति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हापुड़।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ करने हेतु प्रेषित।
13. श्री हिमांशु चन्द्रा पुत्र श्री सुरेश चन्द्रा, निवासी–39 जेल चुंगी, यूनिवर्सिटी रोड, मेरठ (उ0प्र0) को उक्तानुसार अनुपालनार्थ।
14. गार्ड फाईल शिविर कार्यालय लखनऊ/मुख्यालय प्रयागराज।

2/3/2024

(मिनिस्ती एस0)
आई0ए0एस0
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।